न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः—502/17 ((RCMS No.2017/00537) 18 आयुध अधिनियम 1959)

नारायन सिंह पुत्र हरिप्रसाद जाति त्यागी निवासी सादिकपुर थाना मनियॉ जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर धौलपुर जरिये लोक अभियोजक, भरतपुर
2. जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 16.10.2017

उपस्थितिः—

1. श्री औंकार सिंह वकील अपीलान्ट
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर

नि र्ण य दिनांकः 05.09.2018

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 16.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 26/81 जो दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकृत था ,को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 22.12.15 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 881 दिनांक 29.01.2016 से अवगत कराया कि शस्त्र अनुज्ञापत्र धारक के विरूद्ध थाना हाजा में मु0 नं0 263/12 धारा 143, 323, 341 आईपीसी दिनांक 12.07.2012 को दर्ज हुआ है। जिसमें सीएस 208/21.08.12 धारा 147, 149, 323, 341, 325 आईपीसी में दिनांक 03.09.12 को न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलान्ट के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंषा की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर यह माना कि अपीलान्ट संदिग्ध आचरण वाला व्यक्ति है, जो शस्त्र धारण का पात्र नही है। अपीलान्ट ने आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में दर्ज अभियोग के तथ्यों को छिपाया है। अतः अनुज्ञापत्र धारक के आपराधिक चरित्र एवं शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को देखते हुऐ तथा न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण कानून व्यवस्था एवं लोकशांति बनाये

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रखने हेतु लोकहित में अनुज्ञापत्र को निरस्त करने के आदेश दिये तथा थानाधिकारी मंनिया को निर्देश दिये कि अनुज्ञापत्र पर दर्ज शस्त्र को जप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट किसी अदालत से सजायाफता नही है। मात्र अपीलान्ट के विरूद्ध मु0 सं0 263/12 अन्तर्गत धारा 143, 323 व 341 आईपीसी में चार्जशीट 143, 323, 341 ,147, 149, 325 आईपीसी प्रस्तुत होने को आधार बनाते हुए अपीलाधीन पारित किया है। जबकि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा किसी भी प्रकार अनुज्ञापत्र के तहत जारी शस्त्र अथवा अन्य किसी शस्त्र का कोई आक्षेप नही है और न ही आर्म्स एक्ट के दुरूपयोग के तहत कोई धारा ही उक्त प्रकरण में निहित है। अपीलान्ट ने अनुज्ञापत्र की किसी भी शर्त का उलंधन नही किया है। अपीलान्ट ने अन्दर अवधि ही नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र तहत न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के जबाब पर भी गौर नही किया। अपीलान्ट का तर्क है कि जिस एफ.आई.आर. संख्या 263/12 को अपीलाधीन आदेश में आधारित किया गया है, वह असत्य तथ्यों के आधार पर महज अपीलान्ट के साथ व राजेन्द्र के साथ रामदीन वगैरहा द्वारा की गई वारदात व भैरो व निरंजन द्वारा लाईसेन्सी बन्दूक से वारदात में जानलेवा चार–चार फायर किये गये थे जिसके संबंध में अपीलान्ट द्वारा एफ.आई.आर. सं0 262/12 दर्ज कराई गई थी, से बचने के लिये कौस केस बनाने के लिये एफ.आई.आर. संख्या 263/12 झूंठी दर्ज करायी थी जिसमें लाइसेन्सी हथियार का दुरूपयोग नही किया था। उनका तर्क है कि प्रकरण संख्या 263/12 का माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 23.04.2018 से अपीलान्ट को दोषमुक्त किया जा चुका है, जिसकी प्रति पेश है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल किया जाकर नवीनीकृत किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था। प्रार्थना पत्र के संबंध में पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट ली गयी। पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.01.2016 में अपीलान्ट के विरूद्ध थाना हाजा में मु0 नं0 263/12 दर्ज होने व न्यायालय में चालान पेश होना बताया तथा शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंषा की थी। अपीलान्ट ने नवीनीकरण आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में उक्त तथ्यों को छिपाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को देखते हुऐ तथा न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण कानून व्यवस्था एवं लोकशांति बनाये रखने हेतु लोकहित में अनुज्ञापत्र को निरस्त करने के आदेश दिये है जो विधि सम्मत् है। अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय का आदेश पेश किया जिसमें उसे वरी किया गया है। उक्त निर्णय संदेह का लाभ दिया जाकर निर्णित हुआ है परन्तु अपीलान्ट ने आवेदन के साथ दिये गये शपथ पत्र में उक्त मुकदमे का हवाला नही दिया था। अपीलान्ट ने जानबूझकर तथ्यों को छुपाया था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह सही है। अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकृत था। अपीलान्ट ने नवीनीकरण के लिये अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी पेश किया। उक्त आवेदन के संबंध में पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट ली गई।

पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट के विरूद्ध संबंधित थाने में मु0 नं0 263/12 धारा 143, 323, 341 आईपीसी दिनांक 12.07.2012 को दर्ज हुआ था। जिसमें न्यायालय में चालान पेश किया किया गया, जो न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलान्ट के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंषा की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि अपीलान्ट संदिग्ध आचरण वाला व्यक्ति है, जो शस्त्र धारण का पात्र नही है। अपीलान्ट ने आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में दर्ज अभियोग के तथ्यों को छिपाया है। अतः अनुज्ञापत्र धारक के आपराधिक चरित्र एवं शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को देखते हुऐ तथा न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण कानून व्यवस्था एवं लोकशांति बनाये रखने हेतु लोकहित में अनुज्ञापत्र को निरस्त कर दिया तथा थानाधिकारी मंनिया को निर्देश दिये कि अनुज्ञापत्र पर दर्ज शस्त्र को जप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट के विरूद्ध न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज था परन्तु उसने अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में इसका उल्लेख नही किया है। हालांकि उक्त प्रकरण का निस्तारण हो चुका है जिसमें अपीलान्ट को दोषमुक्त किया जा चुका है परन्तु अपीलान्ट ने आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में जानबूझ कर तथ्यों को छिपाया है। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 29.01.16 से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट के विरूद्ध पूर्व में मु0 सं0 263/12 दर्ज हुआ था जिसका न्यायालय में चालान पेश हो चुका है, जो विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट ने तथ्यों को छुपाकर आवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर ही निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्रमांक न्याय–आर्म्स/2016/3314–18 दिनांक 16.10.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official